

२०^४/_{२५}

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवजें लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अंदाज हाजरी एवं अंदाज पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल बुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली